न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–38/2022

संजय कुमार राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बृजकिशोर राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 तथा 05 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 19.12.2024 अंदर आदेश 7 नियम 11(डी) व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर वादीगण की ओर से दिनांक 10.06.2025 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 तथा 05 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.12.2024 आज आदेश हेतु निश्चित है। प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 वो 05 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद, वादी ने विवादित भूमि में अपना हिस्सा 1/72 तथा 1/54 के निस्वत बंटवारा वाद लाया है। प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना उत्तर पत्र दाखिल किये है तथा यह ब्यान किये है कि वादी द्वारा लाये गऐ तथा कथित बंटवारा वाद में कोई भी संपत्ति संयुक्त नहीं है वो पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा वादीगण तथा उसमें भी वाद सं0–01 पूर्व में हुई बंटवारे में अपने हिस्से में मिली हुई भूमि बहुत से बयदारों को बिक्री कर चुके है लेकिन बनियत चालाकी उन बयदारों को पक्षकार नहीं बनाये है। वादीगण ने सही तथ्यों को छुपाकर यह वाद दाखिल किया है। वादी सं0–01 की सगी बहन मधु कुमारी राय ने एक स्वत्व वाद सं0–277/10 वादी सं0–01 वो स्व0 पिता बैधनाथ राय वो भाई संजीत कुमार राय के विरूद्ध अवर न्यायाधीश बेतिया के न्यायालय में बेतिया में अवस्थित पक्का दो मंजिल मकान के निस्वत मोकदमा दाखिल किया था जो स्थानांतरित होकर अवर न्यायाधीश चतुर्थ, बेतिया के न्यायालय में सुनवाई हुआ वो दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद जजमेंट दिनांक 09.12.2016 वो डिक्री दिनांक 07.01.2017 अवर न्यायाधीश चतुर्थ द्वारा पारित किया गया। इस वाद में वादी का कथन था कि मोकदमा वाली भूमि वादी सं0–01 के पिता बैधनाथ राय की स्वअर्जित संपत्ति है और न्यायालय द्वारा इसे माना भी गया है। वादी सं0–01 उपरोक्त स्वत्व वाद सं0–277/10 में प्रतिवादी सं0–02 थे वो प्रतिवादी सं0–01 उनके पिता बैधनाथ राय मोकदमा के सुनवाई के दौरान स्वर्गवासी हो गये। स्वत्व वाद सं0–277/10 में वर्तमान वाद के वादी सं0–01 संजय कुमार राय स्वत्व वाद सं0–277/10 में उपस्थित होकर दिनांक 19.06.2012 को अपना जबाब दाखिल किये वो अपने जबाब	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–38/2022

संजय कुमार राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बृजकिशोर राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.03.2026	के पारा सं0–13 में यह स्पष्ट रूप से बयान किया है कि बैधनाथ राय के द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने वारिसानों के बीच जुबानी बंटवारा करीब 8 वर्ष पहले कर दिया गया था तथा उनको कुल 26–27 एकड़ भूमि प्राप्त थी। यह भूमि उनके तथा उनके वारिसानों के बीच बंट चुकी है। मुदई के द्वारा बंटवारा का कागज नहीं होने के कारण बाद में कठिनाई होने का ब्यान किया तथा बैधनाथ राय द्वारा मुदई को असुरक्षा की भावना दूर करने के लिए एक निबंधित बयनामा दस्तावेज मुदई के हिस्से वाली एराजी 1 बिगहा 13 धुर के निस्वत दिनांक 09.04.2007 को लिख दिया गया, इसके अलावे मुदई के शादी के खर्च के लिए 12 कट्ठा 19 धुर भूमि मुदई को दी गयी जिसका एग्रीमेंट दिनांक 09.04.2017 को ही तैयार हुआ। ये सारी बातें वादी के ब्यान स्वत्व वाद सं0–277/10 में दी गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी के पिता अपने अन्य पट्टीदारों से मौखिक बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को लेकर अपने जीवन काल में ही अपने वारिसानों के बीच बंटवारा कर चुके है। वादी सं0–01 का उपरोक्त ब्यान वर्तमान मोकदमा दाखिल करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 151 स्टॉपेल के आलोक में बिना अग्रेतर कार्रवाई के ही खारिज होने के लायक है। व्य0प्र0सं0 आदेश 7 नियम 11(डी) के प्रावधानों के आलोक में यह मोकदमा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत खारिज होने के योग्य है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में न्यायहित में आवश्यक है कि वर्तमान मोकदमा सुनवाई के पूर्व ही खारिज करने की कृपा की जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वर्तमान मोकदमा खारिज करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 वो 05 की ओर से दाखिल आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 10.06.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि यह बंटवारा वाद प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु चल रहा है। उपरोक्त प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया आवेदन दिनांक 19.12.2024 कानूनी दृष्टि से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा यह आवेदन देकर वाद का त्वरित निष्पादन होने देना नहीं चाहते है बल्कि कोई न कोई आवेदन देकर वादीगण को हैरान परेशान कर रहे है, जिससे वाद के अग्रेतर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो एवं न्यायालय का कीमती वक्त बेवजह बर्बाद हो रहा है। कानूनी दृष्टि से भी आवेदन उपरोक्त प्रतिवादीगण को देने का कोई	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–38/2022

संजय कुमार राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बृजकिशोर राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.03.2026	औचित्य नहीं है। इस बंटवारा वाद में सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से के निस्वत न्यायालय से बंटवारा चाहते है, इससे इन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 21.10.2024 उत्तर पत्र इस वाद में दाखिल किया है। आवेदन के पारा 2 में इस प्रतिवादीगण के द्वारा कहना कि बंटवारा सभी हिस्सेदारों के बीच हो चुका है एवं कोई भी संपत्ति संयुक्त नहीं है। इस भार को साबित करने का प्रतिवादीगण पर है जो वाद के ट्रायल के द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे तथा न्यायालय इस पर विचार करेंगी। वाद पत्र को देखने से स्पष्ट होगा कि स्व0 बैधनाथ राय के एक पुत्र संजय राय एवं पाँच पुत्री क्रमशः संहया देवी, संगीता राय, मधू राय, संजीत राय है जो संयुक्त परिवार के सदस्य है जब कि स्वत्व वाद सं0–277/10 में अन्य प्रतिवादीगण कोई पक्षकार नहीं थे एवं न ही इस स्वत्व वाद को किसी को जानकारी है। अतः इस आधार पर आवेदन खारिज योग्य है। स्वत्व वाद सं0–277/10 में कुछ लोग ही पक्षकार है, इसलिए उपरोक्त स्वत्व वाद की किसी भी कथन का भार अन्य पक्षकारों पर लागू नहीं होगा, इस दृष्टिकोण से भी यह आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 वो 05 कीं ओर से दिए गए आवेदन दिनांक 19.12.2024 को विशेष खर्च के साथ खारिज करने की कृपा प्रदान करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 वो 05 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 19.12.2024 अंदर आदेश 7 नियम 11(डी) व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि व्य0प्र0सं0 आदेश 7 नियम 11(डी) के प्रावधानों के आलोक में यह मोकदमा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत खारिज होने के योग्य है। अतः न्यायहित में यह वाद खारिज करने की कृपा की जाए। दूसरी तरफ वादीगण ने अपने प्रतिउत्तर में निवेदन किया है कि प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है तथा माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर जो गाईड लाईन दिया गया है, वह इस प्रकार है–While considering an application under order 7 R 11	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–38/2022

संजय कुमार राय एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बृजकिशोर राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.03.2026	of the code, the averment in the plaint alone are to be examined and no other extraneous factor can be taken in the consideration. Disputed question of fact are required to be decided on the basis of evidence to be led by the parties. व्य0प्र0सं0 आदेश 7 नियम 11 में कहा गया है कि निम्नलिखीत 6 आधार पर किसी वाद को खारिज किया जा सकता है, जो इस प्रकार है– i. Where it does not disclose a cause of action. ii. Where the Relief claimed is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correctly the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so. iii. Where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp-paper with in time to be fixed by the court, fails to do so. iv. Where the suits appears from the statement in the plaint to be barred by any law. v. Where it is not filed in duplicate. vi. Where the plaintiff fails to comply with the provision of rule-9. उपरोक्त नियमानुसार प्रतिवादी सं0–01, 02, 04 वो 05 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.12.2024 अंदर आदेश 7 नियम 11(डी) व्य0प्र0सं0 में प्रदत प्रावधानों के अनुकूल पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 05.05.2026 को अग्रिम कार्यवाही वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	